

क्रमांक 13017/4/88-रा.भा. (ग), दिनांक 8.6.1988

विषय: हिंदी अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित करना।

इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/13019/75-रा.भा. (ग), दिनांक 31.12.1975 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 13016/1/80-रा.भा. (ग), दिनांक 6.12.1980 (हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन, द्वितीय संस्करण क्र. सं. 139, 140) के द्वारा क्रमशः हिंदी अधिकारियों तथा हिंदी अनुवादकों के कर्तव्य निर्धारित किये गये थे।

2. राजभाषा विभाग के ध्यान में समय-समय पर यह बात लाई जाती रही है कि हिंदी के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध स्टाफ से हिंदी से संबंधित कार्य न कराकर उन्हें अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमावली के अनुसार अपेक्षित कार्य संपादित करने में दिक्कत उत्पन्न होती है। दो फरवरी, 1988 को जम्मू में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भी यह बात उठाई गई थी।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यथा संभव हिंदी अधिकारियों/अनुवादकों से केवल अनुवाद तथा राजभाषा के कार्यान्वयन का ही काम लिया जाए जिसके लिए ये पद स्वीकृत किये गए हैं। यदि किसी कार्यालय में हिंदी का निर्धारित काम पूरी तरह कार्यक्रम के वार्षिक लक्ष्य अनुसार कर लिया जाता है, उसके बाद भी यदि हिंदी पदों पर लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को समय मिले तब ही उन्हें हिंदी अनुवाद तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य दिया जाए।

4. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे कृपया उपरोक्त अनुदेश को अपने संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि को सूचना में आवश्यक अनुपालन हेतु ला दें। इस संबंध में की गयी कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत कराएं।